

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर-452 001

क्र. : कुमुका/सू.का.अ./2026 / 117 दिनांक : 5 SEP 2026

प्रति,
श्री नवीन गलकर
ए-119, वीणा नगर,
सुखसिया
इन्दौर (म.प्र.)
मोबाईल : 90099 19048

विषय :- सूचना के अधिकार के तहत आपके प्रथम अपीलीय आवेदन की सुनवाई हेतु।
संदर्भ :- आपके आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2025

उपरोक्त विषय में लेख्य है कि आपके द्वारा कुल 01 आवेदन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित जानकारी मांगी गई है जिसमें प्रथम अपील माननीय कुलगुरु महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिला के बैठक कुलगुरु महोदय के समक्ष दिनांक 09.10.2026 (शुक्रवार) को सार्व 5.00 बजे निर्धारित की गई है। उपस्थिति हेतु कृपया अपने साथ आई.डी. (परिचय पत्र) लाएं। सूचनाएं प्रेषित।

आदेशानुसार
कुलगुरु जी के सचिव

पृष्ठा. क्र. : कुमुका/सू.का.अ./2026 / 117 दिनांक : 5 SEP 2026

प्रतिनिधि:-
1. कुलसचिव (लोक सूचना अधिकारी), देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।
2. उपाय कुलसचिव, प्रशासन विभाग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।
3. उपाय कुलसचिव, प्रशासन विभाग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।
4. उपाय कुलसचिव, प्रशासन विभाग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।

संभाग पोस्ट

महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट परीक्षा केंद्र फर्जी

बाहरी व्यक्तियों का दखल : पुलिस की संदिग्ध भूमिका!

क्या नैतिकता की जिम्मेदारी से बच रहा है DAVV?

संभाग पोस्ट ने पिछले अंकों में प्रमुखता से उठाया था मामला इंदौर। महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कैट रोड, इंदौर में महर्षि विश्वविद्यालय जबलपुर/कटनी के विद्यार्थियों की 'देश विरोधी अवैध परीक्षा' आयोजित किए जाने तथा परीक्षा में अनिश्चितताओं और

सरकारी व्यवस्था का चक्कर!

'देश विरोधी अवैध परीक्षा' की जांच से ज्यादा लंबी हुई

जांच जारी

देश विरोधी तत्व

सरकारी दफ्तरों की परीक्षा?

फाइल
प्रक्रिया
अनुमोदन
रिपोर्ट
जांच

सरकारी दफ्तर

सब पर भारी भ्रष्टाचारी?

SPECIAL REPORT

नवीन गलकर



सामूहिक नकल के आरोपों को लेकर इंदौर पुलिस, इंदौर कलेक्टर और तत्कालीन एसडीएम राऊ के बाद अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कैट रोड, इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आरोप है कि जिस अवधि में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं संचालित हो रही थीं, उसी दौरान महर्षि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की 'देश विरोधी अवैध परीक्षा' भी आयोजित की जा रही थी। परीक्षा में सामूहिक नकल कराने और पैसे लेकर पास कराने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं।

शिकायतकर्ता का कहना है कि मामले की शिकायत संबंधित थाना राऊ में करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वहां आवेदन लेने से मना कर दिया गया और दुर्व्यवहार भी किया गया। प्रकरण में थाना राऊ और सहायक पुलिस आयुक्त, गांधीनगर की कार्यप्रणाली को लेकर भोपाल स्तर तक शिकायत की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस मामले की जांच वर्तमान में सुमित केरकेड़ा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जोन-1, इंदौर के पास प्रक्रिया में है। सहायक पुलिस आयुक्त, गांधीनगर की कार्यप्रणाली तो इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने थाना राऊ के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से करवाने का कह दिया। इस 'देश विरोधी अवैध परीक्षा' की शिकायत वीडियो साक्ष्य सहित, इंदौर पुलिस, इंदौर कलेक्टर, तत्कालीन एसडीएम राऊ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय तथा प्रदेश स्तर के संबंधित अधिकारियों के अलावा यू.जी.सी. तक भी की गई थी। सवाल यही है कि इतने दरवाजे खटखटाने के बाद भी इस 'देश विरोधी अवैध परीक्षा' मामले की ठोस और निर्णायक जांच आखिर कहां पहुंची?

(शेष पृष्ठ 4 पर)



सुविचार

‘दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता, वह छाया जरूर देता है।’

संपादकीय

चुनाव आयोग की जवाबदेही

हाल के वर्षों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर देश का विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। हालांकि, चुनाव हारने पर विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला पुराना है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत का चुनाव आयोग विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रहा है। जिसकी तपिश भारतीय लोकतंत्र की साख पर भी पड़ती है। निस्संदेह, चुनाव आयोग का दायित्व लोकतंत्र में पारदर्शी चुनाव कराना और नागरिकों के वोट देने के महत्वपूर्ण अधिकार की रक्षा करना होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को विवादित ‘स्पेशल इंटेसिव रिविजन’ यानी एसआईआर से जुड़ी विसंगतियों ने भारी ठेस पहुंचा दी है। हाल ही में दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार की पड़ताल में पता चला है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम से कम चौदह बार उन फ़ैसलों पर आपत्ति जताई, जो उनकी जानकारी में लाए बगैर लिये गए थे। सूत्रों के मुताबिक इन दो चुनाव आयुक्तों की चिंताओं में फॉर्म-6 में बदलाव, वोटर लिस्ट डेटाबेस का सेंट्रलाइजेशन, फील्ड अधिकारियों की इस तक सीमित पहुंच और वोटरों के नाम हटाने की प्रक्रिया शामिल थी। निस्संदेह, इस प्रकरण से मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति असहज हो गई है। इसके बाद अक्सर चुनाव आयोग पर हमलावर रहा, कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष और ज्यादा हमलावर हो गया है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग कर रहा है। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया का संचालन करने वाली संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों के बीच उजागर हुए इस मतभेद को प्रशासनिक छोटी-मोटी बात कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये प्रकरण चुनाव की विश्वसनीयता और जवाबदेही के मूल मुद्दे से जुड़ा है। वोटर रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिये बने फॉर्म-6 में, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स-1960 में कानूनी रूप से सही तरीके से संशोधन किए बिना बदलाव कर दिए गए। इन बदलावों के चलते नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। विडंबना यह है कि जो फॉर्म-6 वोटर रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिये बना था, उसे बेहद जटिल बना दिया गया। जिसमें यह जानकारी देनी अनिवार्य कर दी गई कि क्या वोटर के माता-पिता का नाम पिछली एसआईआर सूची में शामिल था। उल्लेखनीय है कि एसआईआर की जटिलता को महसूस करते हुए पिछले बार की प्रक्रिया की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने निभायी थी। लेकिन इस बार यह जवाबदेही वोटरों के सिर पर डाल दी गई। एक सामान्य मतदाता कैसे याद रखे कि करीब चौथाई सदी पहले उसने या उसके माता-पिता ने किस बूथ पर वोट डाला था। इस संबंध में जानकारी जुटाने के लिये लोग दर-दर की ठोकें खाते रहे हैं। इस जानकारी से मैपिंग न हो पाने के कारण पूरे देश में करोड़ों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए। पश्चिम बंगाल में, ट्राफ्ट वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाने पर नागरिकों व विपक्ष ने कड़ा प्रतिरोध किया। अब तक तय की गई दस में से नौ अपीलों में वोट बहाल होने की रिपोर्ट से पता चलता है कि विसंगतियों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था। इस समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया की कलुआ चाल का पता इस बात से चलता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल को बंगाल में लंबित 37 लाख अपीलों का निस्तारण करने में करीब बारह साल लग सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र के हित में जरूरी है कि चुनाव आयोग को गोपनीयता का पर्दा अविलंब हटाना चाहिए। उसे संबंधित रिकॉर्ड प्रकाशित करने चाहिए। सही मायने में चुनाव आयोग को अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पारदर्शी तरीके से बताना चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग को अपने आयुक्तों द्वारा उठाये गए हर अहम सवाल का जवाब भी देना चाहिए। चुनाव आयोग का नैतिक दायित्व है कि वह सरकार के बजाय नागरिकों के हितों के प्रति जवाबदेह हो। आयोग का फर्ज है कि वह स्पष्ट जवाब देश के नागरिकों को दे। साथ ही हर भारतीय को एक ऐसा चुनावी सिस्टम दे, जो समावेशी और नागरिकों की सुविधा के अनुकूल हो।

विचार

कानून की थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का अंतर- पंकज वाधवानी एडवोकेट

लॉ कॉलेज में लीगल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर सेमिनार आयोजित

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

खंडवा रोड स्थित एक लॉ कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए ‘Legal Practical Skills’ विषय पर विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में विद्यार्थियों को कानून की पढ़ाई के साथ-साथ न्यायालयीन कार्यप्रणाली एवं वास्तविक कानूनी प्रैक्टिस के व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को बताया गया कि एक सफल अधिवक्ता बनने के लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि न्यायालयीन प्रक्रिया, ड्राफ्टिंग, क्लाइंट हैंडलिंग, केस की तैयारी, न्यायालय में प्रभावी प्रस्तुति तथा व्यावहारिक कानूनी कौशल का ज्ञान भी आवश्यक है।



सेमिनार में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और लीगल प्रैक्टिस से संबंधित विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। कार्यक्रम के अवसर पर लीगल क्षेत्र से जुड़े श्री राहुल



जोशी जी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। उन्होंने भी विद्यार्थियों को व्यावहारिक कानूनी शिक्षा एवं अपने अनुभवों से अवगत कराया। सेमिनार का उद्देश्य विद्यार्थियों को

कानून की पढ़ाई से न्यायालयीन प्रैक्टिस तक के वास्तविक सफर से परिचित कराना तथा उन्हें भविष्य के सफल विधि व्यवसाय के लिए तैयार करना रहा।

वीर योद्धा राव तुलाराम को याद कर वृक्षारोपण किया

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

यादव समाज कोर कमेटी द्वारा मध्यस्थता केंद्रों के सभी समाजों के मध्यस्थता केंद्रों के मध्यस्थों के साथ राव तुलाराम प्रतिमा स्थल, टीसीएस चौराहे पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, राजनायक राव तुलाराम यादव की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर पुण्य स्मरण और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यादव समाज कोर कमेटी के अध्यक्ष और भाजपा जिला मंत्री गुलशन यादव ने बताया कि इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इंदौर में संचालित सभी मध्यस्थता केंद्रों के समाज प्रमुखों और मध्यस्थों की गरिमामयी उपस्थिति में अमर क्रांतिकारी राव तुलाराम यादव के शहीद दिवस पर प्रतिमा स्थल पर सर्वधर्मों और सर्व समाजों की सभा आयोजित कर उनका पुण्य स्मरण कर वृक्षारोपण और माल्यार्पण किया गया।

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मप्र विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नियुक्त मास्टर ट्रेनर पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. शमीम एवं विशेष अतिथि प्रसिद्ध पर्यावरणविद् डॉ.एस.एल.गर्ग थे। अध्यक्ष गुलशन यादव द्वारा मुख्य अतिथि मोहम्मद शमीम एवं विशेष अतिथि डॉक्टर एस एल गर्ग का शाल पहना के सम्मान किया गया। मंच पर यादव समाज के प्रमुख समाजजन और यादव समाज सर्वसमाज मध्यस्थता केंद्र के प्रमुख मध्यस्थ सर्वश्री डॉ.आरडी यादव एवं इंजीनियर पुरुषोत्तम यादव, अशोक यादव, नींबू पहलवान यादव (पूर्व ऑल इंडिया चैंपियन:कुश्ती),बनवारीलाल यादव (हाईकोर्ट एडवोकेट), डॉक्टर



आर.सी.यादव (प्रबंधक: इंडेक्स कॉलेज), डॉक्टर रमन यादव(पद्मश्री डॉक्टर भक्ति यादव फाउंडेशन),रामसमुझ यादव, उपस्थित रहे,स्वागत भाषण में अध्यक्ष गुलशन यादव ने आए

उद्बोधन में राव तुलारामजी के शौर्य और वीरता की सराहना करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित हो रहे सामाजिक मध्यस्थता कार्यक्रम के बारे में

एडवोकेट,शहर काजी इशरत अली,फादर सायमन, पप्पू सिलावट,रमेश कुमार गोमे, प्रवीण नीखरा, डॉ.ओपी कनकने, हेमराज वाडिया सहित यादव समाज के सर्वश्री लखन यादव(फोर्स एवेन्डमी), डॉ. चंद्रजी त

यादव,गौरव यादव(अतुल्य मेडिकल),तपन यादव,दिनेश यादव,बिनय यादव गो लू, रामाविंशोर यादव,लक्ष्मण यादव,प्रदीप यादव,पीयूष यादव,मंजू यादव,अंजना यादव,संगीता यादव,मनोज यादव,गोलू यादव,संतोष यादव,रामकिशोर यादव,पीयूष यादव,आदि प्रमुखजन उपस्थित रहे। पुण्य स्मरण कार्यक्रम के पश्चात



हुए सभी अतिथियों का मंच से हार्दिक अभिनंदन किया और अमर शहीद राव तुलाराम यादव जी की प्रतिमा की स्थापना संबंधी संक्षिप्त जानकारी दी। अतिथियों का स्वागत यादव समाज कोर कमेटी के प्रमुख पदाधिकारीगण सर्वश्री राजेश यादव पत्रकार, प्रेम कुमार यादव,शिवमूरत यादव पूर्व थाना प्रभारी, चैनसिंह यादव,शुभ यादव,दिनेश यादव,गौरव यादव(अतुल्य मेडिकल),अमरसिंह यादव,मुकेश यादव,राजेश यादव आदि पदाधिकारियों ने अंगवस्त्र पहना के किया। मुख्य अतिथि डॉ.मोहम्मद शमीम जी ने अपने

महत्वपूर्ण जानकारीयां दी। पर्यावरणविद् डॉ.एस एल गर्ग जी ने अपने उद्बोधन में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के विषय में विस्तार से जानकारीयां दे कर आपके द्वारा स्थापित केसर पर्वत की स्थापना और उद्देश्यों के बारे में सभी को अवगत कराया। कार्यक्रम में शहर के सर्वधर्म सर्व समाजों के द्वारा संचालित हो रहे प्रमुख मध्यस्थता केंद्रों के मध्यस्थगण सर्वश्री डॉ.नरेंद्र धाकड़, डॉ.शरद पंडित,प्रवीण नीखरा,मदनलाल मिमरोट,नरोत्तम कुमार माहेश्वरी, पी एल वर्मा

मुख्य अतिथि मोहम्मद शमीम और विशेष अतिथि डॉ.एस एल गर्ग ने सभी मध्यस्थों और यादव समाजजनों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिमा स्थल पर अनेक पौधे लगाये और राव तुलाराम प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। यादव समाज द्वारा पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया गया। इसके पश्चात् सभी समाज प्रमुखों और वरिष्ठजनों ने साथ बैठकर स्वल्पाहार ग्रहण किया। इस कार्यक्रम का संचालन वीरसिंह यादव ने किया, आभार चैनसिंह यादव ने माना।

■ इंदौर। संभाग पोस्ट
मध्यप्रदेश हाउसिंग
एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट बोर्ड के
इंदौर कार्यालय में एक
फाइल इन दिनों ऐसी
पहेली बनी हुई है,
जिसका जवाब पिछले
करीब चार महीने से
भी नहीं मिल पाया है।
संबंधित व्यक्ति पिछले
लगभग चार महीने से
लगातार बोर्ड
कार्यालय के चक्कर
लगा रहा है, लेकिन हर
बार उसे एक ही जवाब
सुनने को मिलता है
'फाइल नहीं मिल रही
है।' चार महीने में
मौसम बदल गया,
लोगों के काम बदल
गए और कई सरकारी
काम पूरे हो गए,
लेकिन इस फाइल की
किस्मत नहीं बदली।
संबंधित व्यक्ति हर बार
इस उम्मीद से
कार्यालय पहुंचता है
कि शायद इस बार
फाइल मिल गई होगी,
लेकिन जवाब फिर
वही 'अभी फाइल नहीं
मिली है।'



प्यून
घनश्याम

सवाल अब यह है कि
आखिर ऐसी कौन-सी जगह
है, जहां बोर्ड की फाइल पहुंच
गई और बोर्ड का अपना रिकॉर्ड
तंत्र उसे ढूंढ नहीं पा रहा?
क्या फाइल किसी ऐसी जगह
आराम फरमा रही है, जहां
सरकारी रिकॉर्ड की पहुंच नहीं
है? या फिर फाइल ने भी
सरकारी दफ्तर की भागदौड़
से परेशान होकर खुद ही छुट्टी
पर जाने का फैसला कर
लिया? मामला यहीं खत्म
नहीं होता। संबंधित व्यक्ति
के अनुसार, शुरुआत में
उसकी मुलाकात बोर्ड

कार्यालय में प्यून घनश्याम
से हुई। उसे बताया गया कि
फाइल नहीं मिल रही है। इसके

बाद उसने मामले को लेकर
संपदा अधिकारी अरविंद
निकोसे से मुलाकात की।
वहां से भी फाइल की
तलाश कराने की बात
सामने आई। इसके बाद
संबंधित व्यक्ति ने उपायुक्त
एस. आर. सूर्यवंशी से भी
मुलाकात की, लेकिन वहां
से भी स्थिति में कोई ठोस
बदलाव नहीं आया। बताया
गया कि फाइल ढूंढी जा
रही है, लेकिन फाइल अब
तक नहीं मिल सकी है।
यानी फाइल की तलाश में
संबंधित व्यक्ति ने
कार्यालय के अलग-अलग
स्तरों तक दस्तक दे दी,
लेकिन चार महीने बाद भी
फाइल और उसके बीच
मुलाकात नहीं हो सकी।



MPHIDB

सरकारी दफ्तरों में फाइलें
आमतौर पर लोगों के काम
आगे बढ़ती हैं, लेकिन यहां
एक फाइल खुद ही काम बन
गई है। यदि किसी नागरिक
को अपने मामले से संबंधित
सरकारी रिकॉर्ड चाहिए और
उसे लगातार चार महीने तक
केवल 'फाइल नहीं मिल रही
है' सुनना पड़े, तो वह आखिर
किससे पूछे कि फाइल कब
मिलेगी? क्या किसी सरकारी
कार्यालय में किसी महत्वपूर्ण

संपत्ति संबंधी प्रकरण की
फाइल का इस तरह लंबे समय
तक उपलब्ध न होना
सामान्य प्रशासनिक स्थिति
मानी जा सकती है? इस
कार्यालय में वल्लभ भवन
जैसी आगजनी की घटना
भी सामने नहीं आई, जिसके
कारण रिकॉर्ड नष्ट होने की
बात कही जा सके। ऐसे में
सवाल और गंभीर हो जाता
है कि आखिर फाइल गई
कहां? रिकॉर्ड व्यवस्था में ही

कहीं ऐसा छेद है, जिसमें
फाइलें गायब होकर महीनों
तक वापस नहीं आती? या
इस फाइल में दर्ज किसी
महत्वपूर्ण जानकारी के
सामने आने से किसी बड़े
भ्रष्टाचार का खुलासा होगा
जिससे की उन्हें परेशानी हो
सकती है? अब देखना यह
है कि पहले फाइल मिलती
है, जिम्मेदारी तय होती है या
फिर एक दिन नया जवाब
मिलता है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

इतना ही नहीं प्रशासनिक व्यवस्था के और भी दिलचस्प उदाहरण सामने आये हैं। दरअसल कलेक्टर और तत्कालीन एसडीएम राऊ द्वारा शिकायत पर कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर संभाग आयुक्त से शिकायत की गई। अब यहां व्यवस्था का ऐसा 'चमत्कार' सामने आया कि संभाग आयुक्त कार्यालय से शिकायत पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को ही पत्र भेज दिया गया। यानी शिकायत थी कि कलेक्टर साहब ने कार्रवाई नहीं की, और शिकायत पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी कलेक्टर साहब को ही दे दी गई। अब आम आदमी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है 'साहब, शिकायत कलेक्टर के खिलाफ है तो जांच भी कलेक्टर साहब ही करेंगे?' परिस्थिति को देखते हुए तत्कालीन एसडीएम राऊ की शिकायत सी.एम.हेल्पलाइन में की गई पर वे भी कहा पीछे रहते, अलग अलग कार्यालयों में केवल शिकायत को फारवर्ड करने का काम किया गया। वह भी एक-दो

या दस बार नहीं बल्कि सत्तर से भी अधिक बार यानी सीएम हेल्पलाइन समस्या के लिए सुविधा कम दुविधा ज्यादा है अब इन व्यवस्थाओं पर भरोसा रखा जाए या इस पर थोड़ा मुस्कराया जाए— यह फैसला पाठक स्वयं करें।

अब आइए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की 'तेज' कार्रवाई पर महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 'देश विरोधी अवैध परीक्षा' के मामले में 11 जून 2025 को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु को शिकायत की गई। जिसके बाद सवाल था, विश्वविद्यालय ने शिकायत पर क्या कार्रवाई की? इसका जवाब जानने के लिए शिकायतकर्ता ने 9 सितंबर 2025 को सूचना के अधिकार के तहत आर.टी.आय. आवेदन प्रस्तुत किया। निर्धारित अवधि में सूचना नहीं मिली। इसके बाद 10 अक्टूबर 2025 को प्रथम अपील दायर की गई। इसके बाद जो हुआ, वह विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। प्रथम अपील के बाद 4 नवंबर 2025

को लोकसूचना अधिकारी का जवाब प्राप्त हुआ। जवाब में कहा गया कि शिकायत महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में संचालित ऐसी परीक्षाओं से संबंधित थी, जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं से संबंधित नहीं थीं। बस, यहीं से सवाल और बढ़ा हो जाता है। शिकायतकर्ता का कहना है। 'साहब, परीक्षा आपके विश्वविद्यालय की नहीं थी, यह बात मान भी लें। लेकिन परीक्षा आपके विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में आयोजित होने की शिकायत थी। वह भी उस समय, जब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी चल रही थीं।' अब कहानी का सबसे रोचक हिस्सा प्रथम अपील का है। 10 अक्टूबर 2025 को प्रथम अपील दायर की गई थी। लेकिन 15 सितंबर 2026 को जारी पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को बताया गया कि प्रथम अपील की सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर 2026 को उपस्थित होना है। अक्टूबर 2025 में दायर प्रथम अपील की



सुनवाई की तारीख आई पुरे एक साल बाद अक्टूबर 2026 में? आर.टी.आय. में लोक सूचना अधिकारी ने निर्धारित समय का पालन नहीं किया। और प्रथम अपील की सुनवाई के लिए भी लगभग एक वर्ष का इंतजार। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है की 'क्या देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आर.टी.आय. की फाइलें भी अकादमिक सत्र के हिसाब से

चलती हैं?' मामले महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से जुड़ा है। 'कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रकरण में क्या किया जाए, इसका निर्देशन महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रधानाचार्य डॉ. दशरथ चौहान की ओर से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु को मिलना बाकी था?' अब अपीलकर्ता के सामने सबसे अजीब स्थिति बन गई है। 9 अक्टूबर

2026 को प्रथम अपील की सुनवाई है। सूचना के अधिकार के नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने यह बताना है कि लोकसूचना अधिकारी ने सूचना के अधिकार के नियमों का पालन नहीं किया। मामले 'देश विरोधी अवैध परीक्षा' का है या सरकारी दफ्तरों की 'परीक्षा' का यह तय करना मुश्किल होता जा रहा है।

संभाग पोस्ट सामाजिक दृढ़ता संकल्प अभियान

अब आपकी आवाज होगी बुलंद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के संग

आज के समाज में हम देख रहे हैं की शहरी परिवेश की बात करें या ग्रामीण परिवेश की आज के परिवेश में व्यक्ति अकेला पड़ता जा रहा है। आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल करते-करते अपने आप को अकेला महसूस करता है, जब उसके ऊपर ऐसी कोई विपत्ति आती है की जब उसके परिवारजन या मित्र बंधु उसका साथ दे। तब वह पता है कि वह अकेला खड़ा है। यह आज के समाज का सत्य है। यह भारत के ७० प्रतिशत लोगों की सच्चाई है वह किसी भी प्रकार की समस्या में हो चाहे पारिवारिक या मानसिक, सामाजिक, प्रशासनिक या चिकित्सकीय हो ऐसी किसी भी समस्या में वह पाता है कि वह अकेला है। और यदि ऐसे में किसी मोड़ पर कुछ व्यवधान उत्पन्न हो तब वह नीरस हो जाता है, और किसी न किसी प्रकार की गलती कर बैठता है। समाज की ऐसी सबसे बड़ी समस्या को लेकर हमने सामाजिक दृढ़ता संकल्प का अभियान चलाया है जिसके तहत हम उन सभी ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो हमसे जुड़ेंगे तथा वे लोग जो हमसे किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, हमारा प्रयास यह होगा कि ऐसी किसी भी समस्या में हम उनके साथ खड़े हो जिस जगह पर वह सही है और उन्हें व्यवधान, समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में संभाग पोस्ट परिवार उनके साथ खड़ा है।

- समाज में एक कहावत प्रचलित है सत्य परेशान हो सकता है। पराजित नहीं हो सकता,
- ईश्वर की इसी प्रेरणा को हमारे मीडिया चैनल हमारे अखबार ने आत्मसात किया है और हम उन सभी समाज जनों के साथ खड़े हैं जिनके साथ सत्य है।
- ईश्वर सत्य का साथ देने वाले उनके अनुयायियों की सहायता करने स्वयं नहीं आते किंतु किसी न किसी माध्यम से सत्य का साथ दे रहे व्यक्ति की सहायता जरूर करते हैं।
- हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमने यह मुहिम चलाई है जिसके तहत यदि आपके साथ सत्य है तो हम आपके साथ सदा खड़े हुए हैं
- हमारे चैनल और हमारे अखबार से जुड़े हुए सभी सदस्य गण जिनकी किसी भी प्रकार की परेशानी अब उनकी नहीं वह हमारी है।
- जब समाज दृढ़ होगा, सत्य की विजय होगी जब एकता और समान व्यवहार और ज्ञान होगा तब हमारा समाज एक नए भारत का दृढ़ निश्चय भारत का निर्माण कर पाएगा
- यदि आपका काम, स्वयं आप और आपका विचार, सत्य के साथ है तो वह आपका नहीं अपितु वह हमारा विचार होगा, क्योंकि आप भारत के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ है
- अब आम आदमी की आवाज आम आदमी की नहीं अपितु उसके साथ हमारी भी आवाज होगी इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे साथ शीघ्र से शीघ्र जुड़े और अपनी आवाज को एक नया आयाम दें और अपने समाज को अपने परिवार को और अपने देश को सशक्त बनाएं
- हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको कोई नया प्रयास नहीं करना केवल सामाजिक दृढ़ता संकल्प संभाग पोस्ट अभियान का एक फॉर्म भरना है

विचार न कीजिए तुरंत संपर्क करें: 9755648321

क्योंकि दृढ़ होगा समाज तो सशक्त होगा भारत और खुशहाल होगा हमारा परिवार

सत्यम्, शिवम्, सुंदरम्। सत्यमेव जयते

भारत माता की जय वंदे मातरम्



सुसाइड मामले में सुराग के लिए बिल्डर बंटी नागर के मोबाइल खंगाल रही पुलिस, पार्टनरों से करेगी पूछताछ

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

इंदौर के बिल्डर बंटी नागर आत्महत्या केस में अब तक पुलिस को आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ब्लैकमेलिंग और साझेदारी विवाद के एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है। इसके लिए पुलिस ने बंटी के दोनों मोबाइल जब्त किए हैं, ताकि डिजिटल सबूतों से पुलिस को कोई सुराग मिल सके। पुलिस सोमवार को बंटी के पार्टनरों से भी पूछताछ करेगी कि आखिर बंटी किस बात को लेकर तनाव में थे। बंटी ने पत्नी व अन्य परिजनों से कभी किसी बात को लेकर चर्चा नहीं की थी।

नहीं मिला सुसाइड नोट
बिल्डर बंटी ने अपने दफ्तर



में फांसी का फंदा लगाकर जान दी, लेकिन दफ्तर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने जो मोबाइल जब्त किए हैं, उनका लॉक भी खुलवाया जाएगा। कई बार सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर आत्महत्या की वजह मरने

वाला बताता है। पुलिस बंटी के मोबाइल की फोटो गैलरी और मैसेज बॉक्स की जांच करेगी।

आर्थिक दबाव का एंगल ज्यादा बंटी के सांवेर रोड पर रियल एस्टेट के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे। उनके लिए बंटी के साथ कुछ पार्टनर भी थे। इसके अलावा डायरियों के जरिए भी बंटी ने प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाया था। पुलिस आर्थिक दबाव के एंगल से ज्यादा जांच कर रही है। इस प्रोजेक्ट में एक महिला पार्टनर भी बंटी के साथ थी। बंटी की अंत्येष्टि सोमवार को की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार सुबह शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस ने दफ्तर को भी सील किया है, जिसकी जांच फिर से की जा सकती है।



पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर विचार गोष्ठी आयोजित

अंत्योदय एवं एकात्म मानववाद के विचारों को विद्यार्थियों ने आत्मसात किया

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, विकासखंड इंदौर, जिला इंदौर के सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय होलकर साइंस कॉलेज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में जन अभियान परिषद के प्रदेश शासी निकाय के सदस्य श्री विनोद जी मोहिने उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक एवं इंदौर संभाग प्रभारी श्री अमिताभ श्रीवास्तव जी ने की। इस अवसर पर जिला समन्वयक श्रीमती ऋतुजा पाहाड़े जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल

उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण, पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मुख्य वक्ता श्री विनोद जी मोहिने ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन एवं उनके राष्ट्र तथा समाज के प्रति समर्पण पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पंडित जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा और समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए समर्पित रहा। उनके जीवन में संस्कारों एवं प्रेरणाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्हें उन्होंने समाज और राष्ट्र के विकास के लिए अपने कार्यों में उतारा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अमिताभ श्रीवास्तव जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय एवं एकात्म मानववाद के विचारों को सरल एवं प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष रखा। उन्होंने पंडित जी के जीवन दर्शन को

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के पाठ्यक्रम से जोड़ते हुए कहा कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता एवं व्यक्तित्व का विकास करना है, ताकि वे अपने समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों एवं उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से वंदे मातरम् का गान किया गया। कार्यक्रम का संचालन मेंटर श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा एवं श्री सुनील सराठे ने किया तथा आभार प्रदर्शन विकासखंड समन्वयक श्री प्रवेश शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर मेंटर श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा, श्री शिवफूल पगारे, श्री सुनील सराठे, श्री वीरेंद्र तिवारी एवं श्री हरिओम दांगी, 'ए' एवं 'ए' के विद्यार्थी, नवकुर संस्था प्रतिनिधि तथा प्रस्फुटन समितियों के सदस्य उपस्थित रहे।

होलकर साइंस कॉलेज में गणपति विसर्जन के दौरान विवाद, जमकर चले बेल्ट-डंडे, 7 स्टूडेंट सस्पेंड



■ इंदौर । संभाग पोस्ट

इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज में गणपति विसर्जन समारोह के दौरान दो गुटों में जमकर विवाद हो गया। चल समारोह के दौरान शुरू हुई बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि करणी सेना और ABVP से जुड़े कार्यकर्ता आमने-सामने आए। पार्किंग में बेल्ट और डंडों से मारपीट के बाद विवाद कंप्यूटर लैब तक पहुंच गया। घटना में 'ए' और 'ए' के छात्रों के घायल होने की जानकारी है।

जमकर चले बेल्ट-डंडे

होलकर साइंस कॉलेज में गणपति विसर्जन को लेकर चल समारोह निकाला जा रहा था। इसी दौरान दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई और कुछ ही देर में विवाद मारपीट में बदल गया। पार्किंग एरिया में दोनों पक्षों के बीच बेल्ट और डंडों से मारपीट होने की बात सामने आई है। इसके बाद विवाद कंप्यूटर लैब तक पहुंच गया, जहां भी छात्रों के

बीच मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

7 छात्रों को किया सस्पेंड

मामला बढ़ने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने अनुशासन समिति की बैठक बुलाई। समिति ने छात्रों की शिकायतों के साथ मौके के वीडियो फुटेज की भी जांच की। कॉलेज प्रबंधन ने घटना को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए सात विद्यार्थियों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किए गए छात्रों में हर्ष तिवारी, अभिजीत सिंह राजपूत, संस्कार यादव, हरिओम खाती,

अर्पित खाती, भावन सिंह राजपूत और सत्यम शर्मा शामिल हैं।

कॉलेज परिसर में एंट्री पर रोक

निलंबन अवधि के दौरान इन छात्रों के कॉलेज परिसर में प्रवेश पर रोक रहेगी। कॉलेज की ओर से संबंधित छात्रों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी ऊप उनके घर भेजे जाने की भी जानकारी दी गई है। वहीं, छात्रों की ओर से दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं पर धमकाने के आरोप भी लगाए गए हैं। इन आरोपों की कॉलेज और पुलिस स्तर पर जांच की जा रही है।

एक दिवसीय युवा संगम कार्यक्रम

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार, इनोवेशन एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में जिला रोजगार कार्यालय इंदौर द्वारा 29 सितम्बर 2026 (मंगलवार) को एक दिवसीय 'युवा संगम' रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह रोजगार मेला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नन्दानगर इन्दौर में प्रातः 10.30 से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मेले में युवाओं को रोजगार के साथ-साथ स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु ऋण प्रक्रिया एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

हर खबर, आपके क्षेत्र की

संभाग पोस्ट

सच के साथ, समाज के लिए

अपने व्यावसाय को दें नई पहचान!

संभाग पोस्ट में विज्ञापन दें

और अपने ब्रांड को पहुंचाएं हजारों पाठकों तक

क्यों दें विज्ञापन संभाग पोस्ट में ?

व्यापक पाठक वर्ग	स्थानीय स्तर पर सटीक पहुंच	सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों पर विशेष कवरेज	विश्वसनीयता और भरोसे का अखबार	व्यवसाय को मिले अधिक प्रचार-प्रसार
------------------	----------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------

विज्ञापन के प्रकार

- डिस्प्ले विज्ञापन
- शुभकामना संदेश
- प्रोडक्ट / बिजनेस प्रचार
- टेंडर / नोटिस विज्ञापन
- रोजगार / रिवित विज्ञापन
- क्लासीफाइड विज्ञापन

आज ही संपर्क करें

आपका विज्ञापन... आपकी पहचान!

संपर्क करें : 9009919948

ईमेल : sambhagpost@gmail.com

खरगोन कलेक्ट्रेट का 'भ्रष्टाचार का सुरक्षित अड्डा'?

हम रुकने वाले नहीं हैं!

SPECIAL REPORT

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

छोटा हो या बड़ा हर व्यवसाय के लिए सबसे बेहतर मंच!

उज्जैन शाही मस्जिद निर्माण विवाद



■ इंदौर। संभाग पोस्ट इंदौर हाईकोर्ट में सोमवार को उज्जैन की शाही मस्जिद से जुड़े निर्माण विवाद को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवाद का समाधान हो गया। इसके बाद न्यायालय ने समझौते की शर्तों को स्वीकार करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से विवादित निर्माण के करीब साढ़े 9 फीट हिस्से को हटाने की मांग की गई थी। निर्माण को लेकर विवाद सामने आने के बाद संबंधित पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

सुनवाई के दौरान क्या-क्या चर्चा हुई

सोमवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई। पक्षकारों ने न्यायालय के समक्ष आपसी सहमति से विवाद का समाधान करने का प्रस्ताव रखा। चर्चा के बाद दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे। समझौते के तहत करीब तीन फीट विवादित हिस्से को हटाने और एक दुकान को तोड़े जाने पर सहमति बनी।

दोनों पक्षों की सहमति

दोनों पक्षों की सहमति से तय शर्तों को न्यायालय के समक्ष रखा गया। कोर्ट ने समझौते की शर्तों को स्वीकार करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया। अब संबंधित पक्ष समझौते के अनुसार विवादित हिस्से को हटाने और

दुकान को तोड़ने की कार्यवाई करेंगे। मामले में शाही मस्जिद की ओर से अधिवक्ता कुलदीप पाठक ने पक्ष रखा। उन्होंने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति और विवाद के समाधान की स्थिति से न्यायालय को अवगत कराया। मस्जिद के निर्माण से जुड़े हिस्से को लेकर स्थानीय स्तर पर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। इसी विवाद के चलते मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। याचिका में करीब साढ़े 9 फीट निर्माण हटाने की मांग की गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान आपसी सहमति से करीब तीन फीट हिस्सा हटाने और एक दुकान तोड़ने पर सहमति बनी। अदालत द्वारा याचिका का निराकरण किए जाने के बाद अब समझौते के अनुसार आगे की कार्यवाई की जाएगी।

घोड़े पर सवार होकर पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने लिया क्षेत्र का जायजा

क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा द्वारा पूरे क्षेत्र का घोड़े पर सवार होकर भ्रमण करते हुए सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था का जायजा लिया गया। पुलिस

हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला

तीन फीट हिस्सा और दुकान हटाने पर बनी सहमति

बल लगातार क्षेत्र में निगरानी रखते हुए शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए मुस्तैद है।

30 सितंबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

शाही मस्जिद से जुड़े मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई अब 30 सितंबर को होगी। सुनवाई की तारीख आगे बढ़ने के बीच उज्जैन में प्रशासन और पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है।

क्या बोले एसपी प्रदीप शर्मा?

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मुस्लिम समाज और मस्जिद कमेटी की सहमति व सहयोग से सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र में आने वाले मस्जिद के हिस्से को हटाया जा रहा है। यह कदम आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले एक समूह पर पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि शांति भंग करने की कोशिश में जिले के बाहर से आए पांच लोगों को सीमा पर ही गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाह और भड़काऊ

सामग्री पोस्ट करने वाले कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ भी कार्यवाई की जा रही है।

एआईएमआईएम प्रदेशाध्यक्ष गिरफ्तार

एआईएमआईएम के मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल मोहसिन अली खान उज्जैन के नागझिरी थाने में हैं।

आसपास के स्कूल और बाजार बंद

शाही मस्जिद के आसपास स्थित सभी प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं, छत्री चौक, सती गेट, सराफा, लखेरवाड़ी, ढाबा रोड और गोपाल मंदिर के

आसपास का बाजार पूरी तरह बंद है। इससे क्षेत्र में सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुई हैं।

10 लोगों पर

एफआईआर, पांच सोशल मीडिया

इन्फ्लुएंसर भी शामिल

पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें पांच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार, इन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप है। हालांकि, अभी इनकी गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं, बाहर से आए पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के दौरान टीआई के हाथ में चोट

उज्जैन में सोमवार

को लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के दौरान क्राइम ब्रांच में पदस्थ टीआई पुष्पा पांचाल के हाथ में चोट लग गई। पुलिस के अनुसार, कुछ महिलाएं विरोध के दौरान आगे बढ़ रही थीं। महिला पुलिस बल को सुरक्षा देने और महिलाओं को सुरक्षित तरीके से हटाने के दौरान पुलिसकर्मी चादर की आड़ में मौजूद महिलाओं के बीच पहुंचे। इसी दौरान टीआई पुष्पा पांचाल के हाथ में चादर के कोने से कट लग गया।



चेतन टेलर्स
(सूट स्पेशलिस्ट)



सुनिल खटके
मो. 9893118079

30/1. परदेशीपुरा, शिवधाम के सामने, इंदौर

डॉ. हिमांशु केलकर
एम.डी., डी.सी.एच.
नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ
मो. 9202238451

क्लिनिक: 20 जी/एच., गीतांजलि अपार्टमेंट, मार्केट रोड, विजय नगर
स्कीम नं. 54, इंदौर (म.प्र.) Email : himanshukelkar@rediffmail.com
समय : प्रातः 10.30 से 1.30 बजे, सायं 5.30 से 8.30 बजे तक
निवास : 7-बी, शालीमार टाउनशिप, ए.बी. रोड, इंदौर

श्री रवि इत्र सुगन्ध भण्डार

गुलाब, मोगरा, चन्दन, परफ्यूम इत्यादि के थोक एवं खेरीची विक्रेता

प्रोपायटर : रवि सुगन्धी
मो. 9452665448



पता: हीरानगर, मेनरोड, सुखलिया, मिलन गार्डन के पास, इन्दौर

संदीप पवार
Mob :-98260-68380
सीमेंट न्यू नर्मदा ट्रेडर्स
बालू रेती
काली रेती, गिट्टी
ईट एवं बिल्डिंग मटेरियल के विक्रेता
4, मंगलनगर, आई.टी.आई. रोड,
बैंक ऑफ बड़ोदा के पास, पेट्रोल पम्प
के पहले, इन्दौर (म.प्र.)



AFSL SERVICES INDIA LLP

Registered Under Ministry of Corporate Affairs & MSME, Govt of India
An ISO 9001: 2015 Certified Forensic Science Laboratory, LLPIN: ACN-6724

FORENSIC SCIENCE SERVICES

Scientific Assistance Towards Justice

- Crime Scene Investigation
- Handwriting, Signature & Documents Examination
- Fingerprint Examination
- Audio & Video Examination
- Voice Examination
- Computer/Cyber Crime Investigation
- Fire & Arson Investigation
- Insurance Fraud Investigation
- 65B IEA Certificate [63(4)(c) BSA]
- Cross Examination of forensic experts and reports
- Forensic Training & Internship
- Medicolegal Consultancy
- Photography Examination
- Forensic Consultancy.



www.appliedforensicsciences.in

रामसेवक बुक्स
9406621084

पूजा

बुक्स एण्ड स्टेशनरी

6/3, सुंदर अपार्टमेंट, क्लर्क कालोनी चौराहा, श्री सत्य साई बाल
विनय मंदिर के सामने, इन्दौर में

- CBCE स्कूल बुक्स
- चिल्ड्रन बुक्स
- ऑफिस स्टेशनरी
- कम्प्यूटर स्टेशनरी
- स्कूल स्टेशनरी एवं
- गिफ्ट आयटम

राहुल जनरल स्टोर्स

शॉप नं. 3 मालवा मिल चौराहा, इंदौर
मो. 9977732802

सीएम ने किया हिंदू इकोनॉमिक फोरम के इंदौर चैप्टर का शुभारंभ, 800 उद्योगपति जुड़े



■ इंदौर । संभाग पोस्ट

इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में वल्ट हिन्दू इकोनॉमिक फोरम के इंदौर चैप्टर का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चैप्टर का शुभारंभ करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य बन रहा है। सरकार की नीतियां रोजगार और उद्योग दोनों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। इस मौके पर इंदौर चैप्टर के नवनियुक्त पदाधिकारियों तपन शर्मा, नमन अग्रवाल, अक्षय गुप्ता एवं खुशबू सेठिया ने मध्यप्रदेश के औद्योगिक

विकास के बारे में जानकारी दी। पदाधिकारियों ने बताया कि इंदौर चैप्टर की शुरुआत होते ही इसमें 800 उद्योगपतियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जल्द ही मप्र में इसके और भी चैप्टर शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में उद्योगपतियों को प्रदेश की उद्योग नीति और औद्योगिक विकास के प्रति शासन की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश आज उन क्षेत्रों में अग्रणी है, जो उद्योगों के लिए सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने

कहा कि प्रदेश में सरप्लस बिजली के साथ पर्याप्त लैंड बैंक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पानी पर सोलर पैनल से भी बिजली बनाई जा रही है। साथ ही पानी से एनर्जी के भी स्रोत मजबूत हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के नए सेक्टर पर लगातार कार्य किया जा रहा है। इसमें धार्मिक पर्यटन के साथ मेडिकल टूरिज्म भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक विकास के साथ रोजगार के

अवसर भी बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंता नागेश्वरन ने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में देश की विकास दर 7.8 प्रतिशत है और आने वाले वर्षों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत का विदेशों के साथ व्यापार लगातार बढ़ रहा है। फोरम के संस्थापक एवं ग्लोबल कोऑर्डिनेटर स्वामी विज्ञानानंद ने फोरम का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि हिन्दू समाज का हित चाहने वाले उद्योगपतियों को एक मंच पर लाना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। स्वामी विज्ञानानंद ने 'स्वागत एवं संवाद' कार्यक्रम में युवाओं, प्रोफेशनल्स और उद्यमियों का आह्वान करते हुए कहा कि समाज को केवल नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले उद्यमी तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी ने कहा कि व्यक्ति को अपनी प्रतिभा, कौशल और क्षमता का उपयोग केवल किसी दूसरे के व्यवसाय को आगे बढ़ाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपनी क्षमताओं में निवेश कर स्वयं

का उद्यम और आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'आप अपनी प्रतिभा और कौशल का निवेश किसी और के लिए पैसा बनाने में क्यों कर रहे हैं? अपने टैलेंट को अपने स्वयं के व्यवसाय साम्राज्य के निर्माण में लगाइए।' उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सशक्त समाज के निर्माण के लिए अधिक से अधिक लोगों को उद्यमिता, संपदा निर्माण और रोजगार सृजन की दिशा में आगे आना होगा। कार्यक्रम के दौरान इंदौर एवं मालवा में हिन्दू इकोनॉमिक फोरम की आगामी गतिविधियों, उद्देश्यों और कार्ययोजना को लेकर भी जानकारी साझा की गई।

आर्थिक शक्ति को सामाजिक समृद्धि का आधार बनाने का आह्वान

आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट एवं वल्ट हिन्दू इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक स्वामी विज्ञानानंद पिछले वर्षों से विश्वभर के उद्योगपतियों, उद्यमियों, निवेशकों, बैंकर्स, प्रोफेशनल्स, अर्थशास्त्रियों एवं शिक्षाविदों को एक साझा मंच से जोड़ने के प्रयास में सक्रिय हैं। वल्ट हिन्दू इकोनॉमिक फोरम का उद्देश्य आर्थिक ज्ञान, अनुभव, विशेषज्ञता और संसाधनों के आदान-प्रदान

के माध्यम से संपदा निर्माण और उसके व्यापक सामाजिक उपयोग को बढ़ावा देना है। इसकी अवधारणा का मूल मंत्र 'धर्मस्य मूलम् अर्थः' है। इसी भावना के अनुरूप हिन्दू इकोनॉमिक फोरम स्थानीय स्तर पर उद्योग एवं व्यापार जगत को 'साथ बढ़ें, साथ बांटें' की भावना से जोड़ते हुए सहयोग, नेटवर्किंग, ज्ञान-विनिमय और नए आर्थिक अवसरों का मंच उपलब्ध कराता है। भारत में 19 से अधिक हिन्दू इकोनॉमिक फोरम चैप्टर्स के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों और विभिन्न आर्थिक हितधारकों को व्यापक नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

दिसंबर में मुंबई में होगा वल्ट हिन्दू कांग्रेस २०२६

इस अवसर पर स्वामी विज्ञानानंद ने वल्ट हिन्दू कांग्रेस 2026 की भी जानकारी दी। चार वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला यह वैश्विक सम्मेलन 18 से 20 दिसंबर 2026 तक मुंबई के जियो वल्ट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। सम्मेलन में अर्थव्यवस्था, शिक्षा, मीडिया, संगठन, महिला एवं युवा नेतृत्व सहित विभिन्न विषयों पर वैश्विक स्तर पर विचार-विमर्श होगा। वर्ष 2026 के आयोजन की थीम 'साझी प्रतिबद्धता : सामूहिक संकल्प' है।

साइबर ठगी के छह मामलों में कार्रवाई 4.90 लाख रुपये की पूरी रकम पीड़ितों को वापस

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

साइबर ठगी के मामलों में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की साइबर टीम ने छह पीड़ितों की ठगी गई कुल 4 लाख 90 हजार रुपये की राशि वापस कराने में सफलता हासिल की है। साइबर ठगों ने अलग-अलग बहानों से पीड़ितों को व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए फर्जी APK फाइल भेजकर उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करवाया। इसके बाद मोबाइल और बैंकिंग गतिविधियों का दुरुपयोग कर पीड़ितों के खातों से रकम निकाल ली गई। क्राइम ब्रांच के अनुसार, एक महिला एडवोकेट को मोबाइल

अपडेट करने के नाम पर फर्जी लिंक भेजा गया था। APK इंस्टॉल करने के बाद उसके खाते



से 1 लाख 30 हजार रुपये की ठगी हुई। इसी तरह एक निजी कर्मचारी को ट्रैफिक चालान के नाम पर APK भेजकर उसके खाते से 45 हजार रुपये निकाल लिए गए। एक अन्य पीड़ित को बैंक KYC अपडेट करने के बहाने APK इंस्टॉल करवाया गया।

इसके बाद उसके खाते से 90 हजार रुपये की साइबर ठगी हुई। वहीं, एक अन्य मामले में Teen Patti गेमिंग के नाम पर भेजी गई APK फाइल इंस्टॉल करने के बाद पीड़ित के खाते से 95 हजार रुपये निकाल लिए गए। इसी तरह बिजली बिल भुगतान के नाम पर भेजी गई फर्जी APK के जरिए 1 लाख 2 हजार रुपये की ठगी की गई। वहीं, भजन संध्या के धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर भेजी गई APK इंस्टॉल करने के बाद एक अन्य पीड़ित से 28 हजार रुपये ठग लिए गए। घटना की जानकारी मिलते ही सभी पीड़ितों

ने तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 और NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की साइबर टीम ने संबंधित बैंक खातों और लेनदेन की जांच शुरू की। टीम ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से समन्वय कर ठगी की रकम को होल्ड या फ्रीज कराने के प्रयास किए। त्वरित कार्रवाई और लगातार समन्वय के चलते सभी छह मामलों में ठगी की पूरी 4 लाख 90 हजार रुपये की राशि पीड़ितों को वापस करा दी गई। क्राइम ब्रांच ने लोगों से अपील की है कि व्हाट्सएप मैसेज पर प्राप्त किसी भी अनजान APK फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल न करें।

॥ श्री गणेश ॥ ॥ जय माँ भगवती ॥
सेवक राम केवट (छोटू उस्ताद)
मो. 9826012658, 9131711406
माँ नर्मदा केटरर्स
107, नार्थ मुसाखेड़ी, अजयबाग कॉलोनी, इन्दौर
शादी, पार्टी, पिकनिक, जन्मदिन पर कच्ची एवं पक्की रसोई की सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु सम्पर्क करें।

अनुप यादव 9617246247 अमन यादव 7773007307 8770131488
आवित्री हाडवेयर
सेनेटरी एण्ड पेन्ट्स
92 हीरा नगर MR-10 मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.)

शुद्ध गाढ़े की मिलाइयों के निर्माता एवं विक्रेता
श्री चारभुजा स्वीट्स एवं नमकीन
गुलाब जामुन, मावाबादी, काला जामुन, रसगुल्ला इत्यादि
662/9, नेहरुनगर, अटल ह्वार, इन्दौर
शाखा: 60, न्यूदेवास रोड, राजकुमार ब्रिज, इन्दौर

RAVI S. SAHU Managing Director +91-98260-77714
स्वाद का जादू- जागे घर घर...
रवि
मसाले बस चुटकी भर...
मसाले एवं पापड़
RAVI HOME INDUSTRIES
12, Nirmal Nagar, Piplyahana, Indore - 452 001, Ph.: 0731-2490449
Web : www.ravihomeind.com | E-mail : ravisahurhi@gmail.com

त्रिगुण दास बौरासी
कुलदीप बौरासी मो. 9405852932
लक्ष्मी ऑप्टीशियन
सभी प्रकार के नजर व धूप के चश्मे बनाए जाते हैं
फोन : 0731-2545493
352/2, पाटलीपुरा (भेरू मंदिर के पीछे) प्रिंस टेलर के बीच वाली गली में, इंदौर

इंदौर कलेक्टर कार्यालय की बड़ी लापरवाही



आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पर लम्बे समय तक ताला, एक भी आवेदन नहीं देखा गया



पारदर्शिता की बात करने वाला प्रशासन खुद के यहां क्यों बंद है व्यवस्था?

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

एक तरफ सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जनता को हर मुमकिन सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अमले की उदासीनता इन दावों की पोल खोल रही है। मामला इंदौर कलेक्टर कार्यालय से जुड़ा है, जहां सूचना के अधिकार के तहत ऑनलाइन माध्यम से आने वाले आवेदनों को लम्बे समय तक देखा ही नहीं गया। आलम यह है कि संबंधित अधिकारियों ने इसके लिए बना आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल तक ओपन करके नहीं देखा,

जिससे पारदर्शी व्यवस्था का मखौल उड़ रहा है।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा नागरिकों को घर बैठे विभिन्न विभागों से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और समय पर पारदर्शी तरीके से सूचनाएं मिल सकें। लेकिन इंदौर कलेक्टर कार्यालय में इस व्यवस्था को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एक लम्बे समय तक इस पोर्टल को लॉगिन तक नहीं किया गया। इसके चलते पोर्टल पर नागरिकों द्वारा दर्ज किए गए दर्जनों ऑनलाइन आवेदन पर

कोई एक्शन नहीं लिया गया। 'जब मुखिया ही डिजिटल व्यवस्थाओं से मुंह मोड़ ले, तो मातहत कर्मचारियों से पारदर्शिता की उम्मीद करना बेमानी है।' कलेक्टर स्तर पर ऑनलाइन व्यवस्थाओं की यह अनदेखी है, तो दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों या ब्लॉक स्तर के दफ्तरों में तो जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। वहां लोग आज भी बाबूओं और दलालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। शासन के निर्देश पर हर विभाग में ऑनलाइन पोर्टल, समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं तो बना दी गई हैं, लेकिन मैदानी स्तर पर उन पर काम करने की इच्छाशक्ति अधिकारियों में नदारद है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों

पर समय पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। जब तक शीर्ष स्तर पर जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक निचली इकाइयों में सुधार की उम्मीद करना बेमानी है। केंद्र और राज्य सरकारें डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही हैं, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और काम में पारदर्शिता आए। इसके विपरीत, इंदौर कलेक्टर कार्यालय की इस सुस्ती ने सरकारी व्यवस्थाओं पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जिस सूचना के अधिकार कानून को देश में भ्रष्टाचार खत्म करने और पारदर्शिता लाने का सबसे बड़ा हथियार माना गया था, आज हालात यह बन चुके हैं कि उसी को कमजोर करने के लिए सिस्टम के भीतर से ही सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं।



संभाग पोस्ट ने अपने १० फरवरी २०२६ के अंक में प्रमुखता से उठाया था मामला

हादसे के बाद राजवाड़ा चौक से सिटी बसें हुई गायब

■ इंदौर । संभाग पोस्ट

इंदौर के राजवाड़ा चौक पर रविवार को हुए हादसे के बाद सिटी बस का स्टैंड सोमवार को खाली रहा। मंगलवार को यहां सिटी बसें नहीं आईं। उधर, देर रात हादसे के शिकार एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके सिर और सीने में गंभीर चोट लगी थी। पुलिस ने बस में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है।

राजवाड़ा चौक के स्टैंड पर ट्रैफिक विभाग ने पीएम और सीएम बस सेवा की बसों को पार्क करने की अनुमति दी थी। रविवार को जब हादसा हुआ, तब भी वहां चार बसें खड़ी थीं, लेकिन सोमवार सुबह से राजवाड़ा पर बसें नजर नहीं आईं। अफसरों ने राजवाड़ा चौक को नो बस जोन करने की तैयारी की है। राजवाड़ा पैलेस के सामने रिक्रो भी प्रतिबंधित किए गए थे, लेकिन नियम का पालन

नहीं हो पा रहा है। अभी भी कई रिक्रो पैलेस के सामने खड़े रहते हैं। **तीन लोगों पर एफआईआर**

हादसे के बाद बस में तोड़फोड़ करने वाले तीन लोगों पर एमजी रोड पुलिस ने सुपरवाइजर तशील की शिकायत पर केस दर्ज किया है। अभिषेक ठाकुर, विजय यादव और पंकज पर भीड़ को उकसाने और बसों में तोड़फोड़ करने का आरोप है।